समाचार-प्रकाषनार्थः-

धूमधाम से मनाया जाएगा रतलाम स्थापना महोत्सव

रतलाम 15 फरवरी । नगर निगम तिराहे पर 16 फरवरी मंगलवार को प्रातः 10ः30 बजे नगर निगम व रतलाम स्थापना महोत्सव स मति के संयुक्त तत्वाधान में बसंत पंचमी पर रतलाम स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जावेगा।

16 फरवरी मंगलवार को प्रातः 10ः30 बजे नगर निगम तिराहे पर रतलाम राज्य के जनक महाराजा रतन संह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पणए मां सरस्वती के चत्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्जवलन कर रतलाम स्थापना से आज तक पर प्रदर्शनी का शुभारंभ कया जायेगा व आतिशबाजी कर मठाई का वतरण कया जायेगा।

17 फरवरी बुधवार को दोपहर 03ः00 बजे जेएमडी पैलेस पर संगोष्ठी (परिचर्चा) वषय - मेरा रतलाम (प्रगति के पथ पर) का आयोजन कया गया है। जिसमें मुख्य वक्ता वधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप होंगेए वक्ता के रूप में रतलाम के वरिष्ठ पत्रकार श्री शरद जी जोशी व वरिष्ठ शक्षा वद् श्री मुरलीधर चांॅदनीवालाए कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ चार्टेड अकाउन्टेंट श्री एस.एल. चपलोद करेंगे।

रतलाम नगर के राजनैतिकए सामाजिक एवं शहर के समस्त नागरिकों से अपील जाती है क अपने शहर का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाकर इस कार्यक्रम में सम्मि लत होकर आयोजित कार्यक्रमों को सफल बनावें।

स्वच्छता में सहयोग देना हर नागरिक का कर्तव्य

स्वच्छता सर्वेक्षण -2021 के तहत शहर के कचरामुक्त स्थलों पर रांगोली निर्माण और जागरुकता कार्यक्रम के दौरान नागरिकों ने लया रतलाम को स्वच्छता में नम्बर-1 बनाने का संकल्प

रतलाम 15 फरवरी । अगर हम इस बात का ध्यान रखें क हमारे घरों से ही कम से कम कचरा निकले तो काफी हद तक स्वच्छता बनाए रखने में हम योगदान दे सकते हैं। इसके लए प्लास्टिक आदि में पैक चीजों का कम से कम इस्तेमाल कया जा सकता है।

उक्त समझाईश सोमवार को नगर के आधा दर्जन क्षेत्रों में सफाई मत्र समूह के सदस्यों ने रांगोली निर्माण और दीपदान के दौरान उपस्थित नागरिकों को दी है।

इस दौरान उन्होने कहां क हर घर में ज्यादातर प्लास्टिक में पैक चीजों का इस्तेमाल होता है। पै कंग में रखी गई चीज का तो उपयोग कर लेते हैंए ले कन पै कंग मेटेरियल को कचरे में फेंक देते हैंए जिससे कचरा ज्यादा निकलता है। अगर हम बाजार से घर का सामान लाते समय कपड़े या जूट का थैला इस्तेमाल करेंगे तो

पॉली थन कम से कम हमारे घर में आएगी और हमारे घर में कचरा कम जमा होगा। उन्होंने लोगों से प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की सलाह दी और कहां क स्वच्छता में सहयोग देना हर नागरिक का कर्तव्य है।

स्वच्छ सर्वेक्षण अ भयान 2021 के अंतर्गत निगमायुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा लगातार शहर के सभी क्षेत्रों को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास कया जा रहा है। इस दौरान नगर निगम द्वारा स्वच्छता अ भयान के तहत शहर में वशेष साफ-सफाई अ भयान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। इसके साथ-साथ ही कचरा मुक्त स्थानों पर आकर्षक रांगोली और दीपदान के माध्यम से सफाई मत्र समूह के माध्यम से लोगों को जागरुक कया जा रहा है।

रतलाम शहर के सैकड़ों स्थानों पर खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लए नगर निगम की और से अनोखा प्रयोग कया और सैकड़ों स्थान कचरा मुक्त हुए और इन पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन सार्वजनिक स्थानोंए बागीचोंए खेल मैदानों आदि स्थानों पर भी स्वच्छता का संदेश दिया जाकर स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर-1 बनाने का आव्हान लोगों से कया जा रहा है।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व स्वास्थ्य अ धकारी एपी संह ने शहरवा सयों से अपील की है क वे अपने कूड़ा केवल डोर टू डोर कूड़ा ढोने वाले वाहनों में ही डाले। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस दौरान सोमवार को सफाई मत्र समूह की टीम ने आधा दर्जन स्थानों पर स्थित कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवा सयों को स्वच्छता की शपथ दिला कर दीप दान कया गया है।

कचरा पात्र नहीं रखने पर अब फुटकर वक्रेताओं पर भी होगा जुर्माना

कानवेंट स्कूल क्षेत्र में 21 फुटकर व्यापारियों पर हुआ जुर्माना

रतलाम 15 फरवरी । नगर को साफ-स्वच्छ रखने हेतु नगर निगम द्वारा नगर के नागरिकोंए दुकानदारों आदि से कचरा संग्रहण हेतु कचरा पात्र रखने की अपील के बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे है कन्तु नगर के सब्जीए फल-फुरट सहित अन्य सामग्री के फुटकर वक्रेताओं द्वारा कचरा पात्र नहीं रखकर खुले में गंदगी फैलाई जा रही है ऐसे फुटकर व्यापारियों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार कानवेंट स्कूल क्षेत्र के फुटकर व्यापारी द्वारा कचरा पात्र नहीं रखने व खुले में कचरा फेंकने पर की गई जुर्माने की कार्यवाही के तहत प्रकाष पर 100ए अफजलए भूपेन्द्र कुमारए सुषील भरानीए राहूल ससोदियाए वसीम खानए सद्दाम षेखए मोहम्मद अरषदए कलीमए छोटूए मुकेषए अ मत कुमारए सुनीलए संतोशए षंभुए संजूए आलोक चौधरीए बबलूए षवम्ए नरेष व मुकेष पर 50.50 रूपये का जुर्माना कर भ वश्य में कचरा खुले में ना फेंकने व अनिवार्य रूप से कचरा पात्र रखने की समझाईष दी गई।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री एम.के. जैनए झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाड़ेए उप स्वच्छता निरीक्षक श्री जय उपाध्याय आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबं धतों के वरूद्ध जुर्माना कये जाने का अ भयान निरंतर जारी रहेगा।

दो ड्रायवरो को कारण बताओ सूचना-पत्र

रतलाम 15 फरवरी । नगर निगम द्वारा निगम के कचरा संग्रहण वाहन तय रूट पर नहीं ले जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार 2 ड्रायवरों का एक दिन का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त कये जाने का सूचना-पत्र जारी कया गया।

वार्ड क्रमांक 3 व 5 के कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर रणवीर व राकेश द्वारा तय रूट पर वाहन नहीं ले जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त कये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी कया गया। ज्ञातव्य है क नगर निगम कचरा संग्रहण वाहनों पर जीपीएस सस्टम से निगरानी रखी जाकर समय पर व तय रूट पर वाहन नहीं ले जाने पर ड्रायवर व क्लीनरों को दण्डित कया जा रहा है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 15 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें

यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

कल्याण नगर में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली श वर

नागरिकों ने 26ए62ए144६. संपत्तिकर व 6ए71ए025६. जलकर जमा कराया

रतलाम 15 फरवरी । नागरिकों की सु वधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली ष वर 18 जनवरी से आयोजित कये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित ष वरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी करायाए लायसेंस षुल्क एवं वकास षाखा से संबं धत भवन की कष्त तथा भू-भाटक की बकाया रा ष जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित ष वरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर ष वर में संपत्तिकर 1ए10ए000६. व जलकर 6ए000६.ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा ष वर में संपत्तिकर 1ए40ए000६. व जलकर 55ए775६.ए अम्बे माता जवाहर नगर ष्वििर में संपत्तिकर 2ए38ए000६. व जलकर 49ए010६.ए वनोबा नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए29ए000६. व जलकर 43ए670६.ए अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल ष वर में संपत्तिकर 1ए22000६. व जलकर 29ए280६.ए तिरूपति ष वर में संपत्तिकर 77ए000६. व जलकर 19ए850६.ए कोमल नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए27ए000६. व जलकर 48ए220६.ए मार्निंग स्टार स्कूल ष वर में संपत्तिकर 1ए12ए000६. व जलकर 14ए000६.ए कस्तुरबा नगर ष वर में संपत्तिकर 5ए47ए000६. व जलकर 86ए540६.ए प्रयदर्षनी नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए02ए000६. व जलकर 3ए76ए905६.ए डोंगरे नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए82ए500६. व जलकर 76ए470६.ए हाट रोड ष वर में संपत्तिकर 68ए000६. व जलकर 47ए595६.ए कलीमी कालोनी ष वर में संपत्तिकर 1ए17ए000६. व जलकर 22ए680६.ए राजेन्द्र नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए01ए644६. व जलकर 55ए320६.ए काटजू नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए76ए000६. व जलकर 59ए500६.ए वेदव्यास कालोनी ष वर में संपत्तिकर 26ए62ए144६. व जलकर 6ए71ए025६. की रा ष जमा कराई। इस तरह नागरिकांेें ने अब तक आयोजित ष वरों मेेें 26ए62ए144६. संपत्तिकर व 6ए71ए025६. जलकर की रा ष जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित कये गये वसूली ष वरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 22 के लये 16 फरवरी को कल्याण नगरए वार्ड क्रमांक 18ए 19 व 20 के लये 17 से 18 फरवरी तक दीनदयाल नगरए वार्ड क्रमांक 44 व 23 के लये 19 व 22 फरवरी को बोहरा बाखलए वार्ड क्रमांक 23 व 44 के लये 23 फरवरी को रामगढ़ए वार्ड क्रमांक 21 व 45 के लये 24 से 25 फरवरी तक लक्कड़पीठा प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 48 व

49 के लये 26 फरवरी व 1 मार्च को आर्य समाज मंदिर धानमण्डीए वार्ड क्रमांक 40 व 41 के लये 2 मार्च को जूनी कोर्ट करण टॉ कजए वार्ड क्रमांक 28ए 29ए 36ए 37 व 38 के लये 3 से 4 मार्च को लॉ कॉलेज आनंद कालोनीए वार्ड क्रमांक 28 के लये 5 मार्च को प्रताप नगर उद्यान के पासए वार्ड क्रमांक 13 के लये 6 मार्च को महावीर नगरए वार्ड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लये 8 से 9 मार्च तक पैलेस रोड तिराहाए वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लये 10 मार्च को चौगानिया भेरूए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लये 12 व 15 मार्च को षक्षा वभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लये 16 व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेष देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लये 20 व 22 मार्च को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लये 25 से 26 मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में ष वर आयोजित कये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध कया गया है क निगम द्वारा उक्त ष वर बकायादारों की सु वधा के लए आयोजित कये गये है इन आयोजित ष वरों में बकायादार अपनी बकाया रा ष जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

659 मवे शयों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 15 फरवरी । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवे शयों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवे शयों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अ भयान चलाया गया तथा 15 फरवरी तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 659 मवे शयों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अ भयान के तहत 15 फरवरी को अलकापुरी अम्बे चौकए गणेश देवरी व सैलाना रोड से 3 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अ भयान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवे शयों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवे शयों का पालन कया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये 500६. वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवे शयों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए0पी0 संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहानए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर कये जा रहे है लीकेज दुरस्त
116 दिनों में 143 वॉल्व व 787 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 15 फरवरी । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अ धक सुदृढ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय वभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ कया गया जिसके तहत 15 फरवरी तक 143 वॉल्व व 787 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त कया जा चुका है। ‘ ‘रतलाम जलशक्ति अ भयान’ ’ व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड कया जा रहा है तथा अपलोड़ की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 15 फरवरी सोमवार को मीराकुटीए गांधी नगर मुख्य मार्ग एटीएम के पासए रेल नगरए जवाहर नगर सी कालोनीए कस्तुरबा नगर रोटरी गार्डन के पासए शास्त्री नगर मुख्य मार्गए राजपूत बो र्डंगए रतलाम हास्पीटलए गीता मंदिर रोडए हाट रोड मरीमाता चौराहाए ऊंकाला रोड पर पाईप लाईन लीकेज दुरस्त कये जानके के साथ ही अभय नगर में वॉल्व दुरस्त कया गया।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए जलप्रदाय वभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्यए उपयंत्री श्री सुहास पं डतए श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादवए श्री देवेन्द्र पवांर आदि के निर्देशन में की गई।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 15 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लया।

सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 15 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने के लये भारत सरकार द्वारा तैयार कये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमक र्मयों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मशन के तहत कये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करेंए उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण कया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन
खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी
अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 15 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबं धत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/15ण्02ण्2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.